

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री ..... डी.एच.जे.सी. मनोहरलाल ..... मध्यप्रदेश
- 2 वर्तमान धारित पद ..... बिभागीय सेवक
3. वर्तमान वेतन ..... ५९१००\* रुपय भवते

आगामी वेतन बढ़ि की तारीख:-जुलाई २०२१

क्र.	उस जिले, उपसभाएं, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा गृह तथा अन्य भवन	वर्तमान मूल्य भूमि	यदि रख्य के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्यौरा	सम्पत्ति से बार्षिक आय	अस्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2	दीनदेवलनगर गम्भीरखाड़ा	ठावा भवन कु ४०५-४०६	२०. लाख	कड़ बचत करके रख कड़ लोन द्वारा	कड़ नहीं लाभांग नियमित न कर किये ।	9	
2							

1. जहाँ लापू न हो करत दीर्घिए।

2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही-सही नियोरण न हो, वहाँ वर्तमान विधि के संदर्भ में लाभा मूल्य बताया जाए।

3. इसमें अल्पकालीन पटटे भी शामिल हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आवश्यन नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह धोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व के तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या किसी सदस्य के नाम पर या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्याप्रि हैं।

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर ....., २०.८.२०२१

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

## फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

२७-०५-१९८८

मध्यप्रदेश

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री **श्रावाली**
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

**इकाई रुपये**

अगली वेतन बढ़ि की तारीख:-

क्र.	उस जिले, उपसंभाग,	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है	उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टम्-बंधक,- विरासत, भेट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्यौरा	सम्पत्ति से बांधिक-आय	अस्युक्ति
		गृह तथा	भूमि						
1	लाला	गृह अन्य भवन जिसमें सम्पत्ति स्थित हो			5		रुपये	रुपये	
1	लाला	गृह अन्य भवन जिसमें सम्पत्ति स्थित हो		3	5		रुपये	रुपये	
2									

1 जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2 ऐसे गमले में जहाँ मूल्य की सही-सही नियांरण न हो, वहाँ वर्तमान शिथि के सदर्म में लाग्ना मूल्य बतालाया जाए।

3 इसमें अल्कालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी:- यद्यप्रदेश शासकीय सेवक आवारण नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या

किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के लिये है।

वारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या

*(Signature)*

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

۱۰۴

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री शिवालक
2. वर्तमान धारित पद मन्त्री
3. वर्तमान वेतन 25700 + DA

.....अगली वेतन बढ़िये की तारीख:- 1.7.2026

.....मध्यप्रदेश 04/07/1997

क्र.	उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा	वर्तमान मूल्य	यदि ख्यां के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्यौरा	सम्पत्ति से बार्षिक आय	अन्युपित
1	पुष्टी राजावाडा तालुक राजावाडा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	गृह तथा भूमि अन्य भवन	५०५५५ X ८० ४०५०५ X ८० ३०५०५ X ८० २०५०५ X ८० १०५०५ X ८०	पुष्टी राजावाडा तालुक ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	५०५५५ ४०५०५ ३०५०५ २०५०५ १०५०५	८	9
2							

1. जहाँ लापू न हो काट दीजिए।  
2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही-सही निर्धारण न हो, वहों वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतालाया जाए।  
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अवधारणा नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि, वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भर महीने की अवधि के पश्चात यह धोषणा—पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानीयता को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम पर या उसके अपने नाम पर या उसके किसी सदस्य के नाम पर या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में जाए।

१ के हरसाक्षर  
9/10/2020

अधिकारी / कर्मचारी

四

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री ..... २१३५०५१८

2 वर्तमान धारित पद ..... डॉ४५२

3. वर्तमान वेतन ..... ५०००००

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020 ..... ८७५८६७०९०-८२-१९९७

अगली वेतन बृद्धि की तारीख:- ..... ०१.७.२०२१

मध्यप्रदेश ..... मध्यप्रदेश

- जर्हां लागू न हो काट दीजिए।
  - ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही—सही निधारण न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
  - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
  - इसमें आवश्यक आवरण शासकीय सेवक आवरण नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी हितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक टिप्पणी—मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आवरण नियम 1965 के अधीन प्रथम श्रेणी हितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य के अंतिम द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके बारह समृद्धी की अवधि के पश्चात यह घोषणा—प्रत्र भारकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उपने नाम पर या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यारे दें। किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यारे दें।

2124719112

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

9-10-2020

४८

\*मार्ग वियापिका के समय अदल समस्ति का विवरण वर्ष 2020

क्र.	उस जिले, उपसभाग,	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्योरा	सम्पत्ति से बासिक आय	आयुष्मान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीनगर ज़िला	पुलवामा ज़िला	रु 160 कर.	पुलवामा ज़िला	रु 160	—	—
2							

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
  - ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही—सही निर्धारण न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतालाया जाए।
  - इररमें अल्पकालीन पटटे भी शामिल हैं।
  - मध्यप्रदेश शासनकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसके सदस्य के किसी परिवार के नाम पर या उसके सदस्य के नाम पर या बाहर महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा—पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्थानित्व को तथा उसके द्वारा असित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके सदस्यतामन पर उसके द्वारा घारित समस्त अवल सम्पत्ति के बारे में विवर दें।

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

8-10-2020